

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 57 / 2026 बउनवानी मनोज कुमार जैन बनाम तहसीलदार बौली
निवासी नेहा विला, महावीर मार्ग बौली जिला सवाईमाधोपुर

GCMS No-2026/107

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

28.4.2026

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 14.10.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौली को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर "प्रार्थी द्वारा ग्राम रवांसा के ख0न0 19/1, ख0न0 824/50 बांस टोरडा के ख0न0 824/50 के संबंध में कुल 17 बिन्दुओं की प्रमाणित सूचना। "तहसीलदार बौली से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौली को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौली की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/आरटीआई/2026/361 दिनांक 13.4.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 14.10.2025 में चाही गयी सूचना में से बिन्दु संख्या 1 लगायत 6 की सूचना का संबंध में तहसील बौली से संबंधित नहीं होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नहीं करवायी गयी है तथा बिन्दु संख्या 7 व 8 के क्रम में नामा0 संख्या 153 व 517 की प्रमाणित प्रति अपीलान्ट को दी गयी है। इस प्रकार कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार चाही गयी सूचना में से आंशिक सूचना अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करवायी जा चुकी है। शेष सूचना से संबंधित रिकार्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 14.10.2025 में चाही गयी सूचना में से बिन्दु संख्या 1 लगायत 6 की सूचना का संबंध में तहसील बौली से नहीं होना बताते हुए उक्त बिन्दुओं की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध नहीं करवायी गयी है तथा बिन्दु संख्या 7 व 8 के क्रम में नामा0 संख्या 153 व 517 की प्रमाणित प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी गयी है। शेष बिन्दुओं की सूचना नहीं दिये जाने के संबंध में कोई विधिसम्मत कारण नहीं बताया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र में 17 बिन्दुओं की सूचना चाही गयी है जबकि तहसीलदार बौली द्वारा केवल 8 बिन्दुओं के संबंध में ही अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है। यद्यपि अपीलान्ट द्वारा भी अपने प्रार्थना पत्र में कई बिन्दुओं की सूचना अस्पष्ट एवं अपूर्ण विवरण के मांगी गयी है जो दिया जाना सम्भव नहीं है। किन्तु न्यायहित में तहसीलदार बौली को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र पर व्यक्तिगत ध्यान देते हुए कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार अपीलान्ट को 15 दिवस में वांछित सूचना उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर